न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं. 2012/00254 (142/2012) 223 आरटीएक्ट

शिवकुमार पुत्र सागरमल जाति अग्रवाल निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। –अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. पूनमचन्द पुत्र पेसरमल जाति अग्रवाल निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा
   1/1 मैनावती पत्नी पूनमचन्द
   1/2 हरीशचन्द पुत्र पूनमचन्द
   1/3 प्रवीण पुत्र पूनमचन्द
2. राधेश्याम पुत्र सागरमल
3. सुभाष पुत्र सागरमल
4. सज्जन कुमार
5. सुनील कुमार पुत्र सागरमल

   जाति अग्रवाल निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

6. कैलाश पुत्र औमप्रकाश
7. महेन्द्र पुत्र औमप्रकाश
8. श्रवण कुमार पुत्र औमप्रकाश

   जाति अग्रवाल निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

9. ऋषिकेश पुत्र श्री फूलचन्द जाति अग्रवाल निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर। –असल रेस्पोडेंट
11. किशनलाल पुत्र फूलचन्द जाति अग्रवाल निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.05.2012 द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र0 सं0 111/2010 बअनवानी शिवकुमार आदि बनाम पूनमचन्द आदि

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 10

निर्णय दिनांक –09.10.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 11 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया। प्रश्नगत भूमि उनकी खरीदशुदा भूमि है। खरीद के समय यह भूमि मामचन्द के नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खातेदारी दर्ज थी। चक 4 जोगीवाला की 5.161 है. भूमि वादी वा प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने की बजाय गैरखातेदारी दर्ज कर दी गई। जमाबंदी मे पूनमचन्द क पिता का नाम पेसरमल की बजाय किशोरीलाल दर्ज किया हुआ है। वादीगण ने उक्त भूमि को वादीगण व प्रतिवादीगण को हिस्सा अनुसार खातेदारी घोषित करने एवं रिकार्ड दुरूस्त करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने वाद वादी साबित नहीं होने के कारण खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अपीलाण्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी ने खरीद की थी उस समय रामचन्द के नाम कृषि भूमि खातेदारी दर्ज थी वादी एवं प्रतिवादी ने अपनी खरीद की हुई भूमि में से मु. नं. 20 किला नं. 16 ता 18, 24, 25 मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 19 ता 22, मुरब्बा नं. 36 के किला नं. 1 मुरब्बा नं. 37 के किला नं. 4, 5 कुल 12 किला भूमि कासीराम वल्द पूर्णराम को विक्रय कर दी। वादी व प्रतिवादी व द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि में से उक्त 12 किला भूमि तबादला में वादी एवं प्रतिवादीगण को दिनांक 29.06.1960 के आदेश द्वारा खातेदारी दी गई थी परन्तु चक नं. 4 जोगीवाला के खाता संख्या 263/212 की 6.047 है. भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने की बजाय गैर खातेदारी दर्ज कर दी गई तथा जमांबदी मे पूनमचन्द के पिता का नाम पेसरमल की बजाय किशोरीलाल गलत दर्ज हो गया जिसे वादीगण अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट दुरूस्त करवाना चाहते हैं। रेस्पोडेण्ट ने अपनी स्वीकृति दी हुई है। किसी ने वाद का विरोध नहीं किया है। ऐसी स्थिति में वाद को डिक्री किया जाना चाहिए था। स्टेट ने समस्त तथ्यों को स्वीकारा है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था पूर्व में अपीलाण्ट के वकील द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे और वाद वादी डिक्री किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरसीसी 2001 पेज 125 एचसी, आरआरडी 1996 पेज 538, 1996 आरआरडी पेज 124, 19902 आरआरडी पेज 425 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है और अपील के विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित दस्तावेज होने के कारण एवं अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय में वाद घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का था। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि जब मालचन्द से खरीद की गई थी खरीदी गई भूमि में 12 किला भूमि कासीराम वल्द पूर्णराम को विक्रय कर दी। वादी व प्रतिवादी व द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि में से उक्त 12 किला भूमि तबादला में वादी एवं प्रतिवादीगण को दिनांक 29.06.1960 के आदेश द्वारा खातेदारी दी गई थी परन्तु चक नं. 4 जोगीवाला के खाता संख्या 263/212 की 6.047 है. भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने की बजाय गैर खातेदारी दर्ज कर दी गई तथा जमाबंदी में पूनमचन्द के पिता का नाम पेसरमल की बजाय किशोरीलाल गलत दर्ज हो गया जिसे वादीगण अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट दुरूस्त करवाना चाहते हैं। इसके संबंध में अपीलाण्ट ने अपील में आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संवत 2038 से 31 की सैटलमेंट की जमाबंदी प्रस्तुत की है, जिसमें भूमि विवादग्रस्त पूनमचन्द, औमप्रकाश ऋषिकेश वगैरह की गैर खातेदारी दर्ज है एवं संवत 1992 की खतौनी दरमियानी प्रस्तुत की है जिसमें मामचन्द व लिछमण पिसरान दौला खातेदार के कॉलम में दर्ज है। इसके अलावा प्रमाणित प्रतिलिपि रिपोर्ट पटवारी हल्का 26.07.2019 भी प्रस्तुत की है, जिसमें यह अंकित है कि चक 4 जोगीवाला के प्रश्नगत मु. नं. किला नं किस मिलान क्षेत्रफल से पैमूद हुई/परिवर्तित हुई इसका रिकार्ड पटवार अभिलेख में नहीं है। खसरा मिलान एवं सूची नं. 4 चक 4 जेजीडब्ल्यू तहसील कार्यालय छानीबड़ी एवं भू अभिलेख हनुमानगढ में उपलब्ध नहीं होने संबंधी नकल आवेदन पत्र की तस्दीक भी प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय के समक्ष राज्य पक्ष की और से जो जवाबदावा प्रस्तुत हुआ है उसमें उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि भाखड़ा उपनिवेशन क्षेत्र में होने के कारण वाद भूमि पर खातेदारी अधिकार भाखड़ा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित राशि जमा करवाने पर विधिवत कार्यवाही कर सक्षम अधिकारी द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने संबंधी उल्लेख किया गया है, जबकि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विचारण न्यायालय ने स्टेट के जवाब दावे में अंकित तथ्यों के संबंध में बिना कोई अवधारणा कायम किये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दावा खारिज किया है जो उचित प्रतीत नहीं हेाता है। चक 4 जेजीडब्ल्यू की भूमि जरिये दस्तावेज बैयनामा प्रदर्श पी–1 से मामचन्द वल्द दौलाराम से पूनमचन्द सागरमल औमप्रकाश, ऋषिकेश द्वारा क्रय की जानी सिद्ध होती है परन्तु उक्त बेयनामे में अंकित भूमि एवं हाल अभिलेख में दर्ज भूमि एक ही भूमि हो इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, परन्तु अपील में खसरा मिलान एवं सूचि नं. 4 उपलब्ध नहीं होने सबंधी तस्दीक अपीलाण्ट ने प्रस्तुत की है उक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए काबिल अपास्त है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है कि वो प्रश्नगत भूमि को साबिका खसरा नं. से हाल किला नं. मु. नं. में परिवर्तन होने संबंधी मिलान क्षेत्रफल एवं प्रतिवादी पूनमचन्द के पिता का नाम किशोरीलाल की बजाय पिसरमल होने के तथ्यों के संबंध में, तथा सिलिंग सीमा की संपूर्ण जांच करते हुए पक्षकारान को पुनः साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं यदि पात्र पाये जाते है तो नियमानुसार प्रश्नगत भूमि राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 एवं राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 में वाद भूमि खातेदारी निर्धारित राशि जमा करवाने पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने संबंधित नियमों की व्याख्या करते हुए प्रकरण का पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाती एव सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.05.2012 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण उपरोक्त विवेचना नुसार उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.26 11:59:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: